संख्या–749 / 41–11–15 यो0 / 10

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2011.

विषय– केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में अवन्तिका देवी मंदिर में गंगा के दाहिने किनारे पर घाट के निर्माण की योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या– 2346 / 6– 1– 1(359) / यो0 / 2010 दिनांक 25 मार्च, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2)– उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में अवन्तिका देवी मंदिर में गंगा के दाहिने किनारे पर घाट के निर्माण की योजना हेतु शासनादेश सं0–3724 / 41–10–15 यो0 / 10 दिनाक–14 जनवरी, 2011 द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशि रू0–330.59 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में रू0–165.30 लाख (रूपये एक करोड़ पैंसठ लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश सं0–3724 / 41–10–15 यो0 / 10 दिनांक–14.01.2011 मे उल्लिखित शर्तो के अनुसार व्यय की जायेगी।

2– उक्त धनराशि का आहरण / व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4– कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5– यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित / राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6– योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार तथा त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

Tandon - Senson

(3)– उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या – 44 के लेखा शीर्षक – 5452 – पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय – आयोजनागत – 80 – सामान्य– 104 – संवर्धन तथा प्रचार – 01 – केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित – योजनायें – 0115 – डेस्टीनेशन / सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास – 24 – वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–बी–1–951 / 10–2010–231 / 10, दिनांक–26.03.2010 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

संख्या–749 (1) / 41–2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2– सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई–दिल्ली।
3– मण्डलायुक्त, मेरठ / जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5– निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
6– वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7 / नियोजन अनुभाग–4
8– क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
9– श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब–साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0सिंह)
विशेष सचिव